RBE NO. 179 /2010

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No.E(D&A) 2008 RG 6-36

New Delhi, dated: 16 .12.2010

The General Manager (P),
All Indian Railways and
Production Units etc.,
(As Per Standard List).

Sub: Determination of stage(s) in the penalty of reduction to lower stage in the time scale of pay following implementation of the recommendations of the VIth Central Pay Commission.

Certain aspects of implementation of penalties having pay element, following acceptance of the recommendations of the VIth Central Pay Commission, are being examined in consultation with the Department of Personnel & Training. On the issue of determining stage(s) in respect of the penalty of 'reduction to lower stage in time scale of pay', the Department have advised that as per the Revised Pay Rules, 2008, the quantum of increment has been changed from a fixed amount to an amount of 3% of the basic pay rounded off to the nearest ₹10/-. This provision does not call for any amendment to the Discipline And Appeal Rules. The lower stages of pay in such cases have to be worked out as per the aforesaid provisions of the Revised Pay Rules, 2008.

2. Please acknowledge receipt.

(Harish Chander)
Dy. Director Establishment (D&A)
Railway Board

आर.बी.ई.सं.179/2010

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

ई(डी एंड ए) 2008 आर जी 6-36 नई दिल्ली, दिनांक 16.12.2010

महाप्रबंधक (कार्मिक)
भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाईयां आदि,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के स्वीकार होने पर समान वेतनमान में निचली अवस्था की अवनति की शास्ति के संदर्भ में 'निचली अवस्था' का निर्धारण ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के स्वीकार होने पर ऐसी शास्तियां जिनमें वेतन का अंश है, के क्रियान्वयन से जुड़े कुछ पहलुओं के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है । समग्र वेतनमान में निचली अवस्था में अवनति की शास्ति के संदर्भ में 'निचली अवस्था' के निर्धारण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने परामर्श दिया है कि संशोधित वेतन नियम, 2008 के अनुसार वेतनवृद्धि की प्रमात्रा को अब एक निश्चित रकम के स्थान पर मूल वेतन का 3% (सबसे नजदीकी रूपये 10 तक पूर्णांकित) कर दिया गया है । इस प्रावधान के आधार पर अनुशासन और अपील नियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में समग्र वेतनमान में 'निचली अवस्था' का निर्धारण संशोधित वेतन नियम, 2008 के पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार किया जाये ।

कृपया पावती दें ।

(हरीश चन्द्र)
उप निदेशक स्था.(अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड